न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 52/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राणाराम पुत्र जवाराराम जाति सुथार निवासी ग्राम दासनिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा जो राजस्व प्रकरण संख्या 8/2018 अनवान राणाराम बनाम राजस्थान सरकार मे दिनांक 26–3–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री रविशेखर थानवी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के दादा श्री बींजा पुत्र मेगा कौम सुथार के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबरान 156, 159, 154, 155, 166, 167, 168 कुल 8 खसरान की 41 बीघा भूमि राजस्व ग्राम दासानिया तहसील शेरगढ मे आई हुई है ! प्रार्थी के दादा बींजा के दो पुत्र क्रमशः स्वरूपाराम एवं जवाराराम थे । प्रार्थी के दादा बींजाराम के स्वर्गवास होने के कुछ समय बाद प्रार्थी के पुत्र जवाराराम का भी स्वर्गवास हो गया । बींजाराम एवं जवाराराम के फोत होने पर फोतेदगी म्युटेशन संख्या 65 खोला गया जिसमे बींजाराम के वारिसान मे बींजा के पुत्र स्वरूपाराम एवं प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी मूल खातेदार बींजा के मृतक पुत्र जवाराराम का पुत्र है तथा इस प्रकार प्रार्थी बींजा का पोत्र है । चूकि उक्त गलती ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियो के द्वारा बोनाफाईड रूप से की गई है इसलिए उक्त गलती को दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम राणा वल्द जवारा की शुद्धि करवाने बाबत निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार शेरगढ से जांच रिपोर्ट तलब की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–3–2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुरूप नही होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान प्रथत अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय मनमाना

एवं रेकर्ड पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री या सबूत प्रार्थीगण/रेस्पो0गण. के द्वारा प्रस्तुत नही किये है जिससे केवल कयासी दलीलो पर आधरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे तहसीलदार शेरगढ को इस प्रकरण मे जांच करने के आदेश दिये थे तथा तहसीलदार (भू0अ0) शेरगढ के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह रिपोट दी कि बींजाराम के पुत्रो के नाम स्वरूपराम व जवाराराम थे जिसमे से जवाराराम के पुत्र का नाम राणाराम है तथा राणाराम बींजाराम का पोत्र है । रिकार्ड मे सरूपा, राणा पि0 बींजा के स्थान पर सरूपा पुत्र बींजा एवं राणाराम पुत्र जवाराराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होना चाहिये था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त जांच रिपोर्ट पेश होने के बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र. को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने यह अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–3–2019 को अपास्त कर अपीलांट की अपील स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे शुद्धि करने के लिए आदेश पारित करने का निवेदन ि कया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत आना नही पाया जाने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करने का जो आदेश पारित किया गया है, उसे विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन एव अवलोकन किया तथा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो एवं उसके कम मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे निम्न प्रकार प्रावधान दिये हुए है –

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (गलतियो का शुद्धिकरण)– भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रिती से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे ।

परंतु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी

तब तक शुद्ध नही की जायेगी, जब तक कि पक्षकारो को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया हो ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के साथ अपीलांट ने जो दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबंदिया पेश की गई है, जिसमे खातेदार बींजा के फौत होने पर उसके स्थान पर सरूपा, राणा पि0 बींजा सुथार के नाम का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज जमाबंदी संवत 2018–21, संवत 2022–25, संवत 2055–58, संवत 2059–62, संवत 2063–66 ग्राम दासानिया मे दर्ज चलता रहा जबकि राणा के पिता का नाम जवाराराम है अतः खातेदार बींजा के फोत होने पर उसके पुत्रो के रूप मे सरूपा, जवारा पि0 बीजा दर्ज किया जाना चाहिये था । अपीलांट अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे राणाराम के पिता का नाम जवाराराम होने बाबत दस्तावेजात जिनमे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राणाराम का आधार पत्र, राणाराम का परिवार राशनकार्ड आदि पेश किये थे जिन सभी मे राणाराम के पिता का नाम जवाराराम दर्ज है ।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र. पर खातेदार राणा की वल्दियत बींजा के स्थान पर सही वल्दियत जवारा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाने चाहिये थे परंतु उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक त्रुटि कारित की है ।

परिणामस्वरूप अपीलाट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–3–2019 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत शुद्धि योग्य बनता है अतः रेकर्ड का अवलोकन कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 12–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर